

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 18/2025- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि....(अ).- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1266(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के तालिका I से संलग्न सूची 13, 14 और 15 में उल्लिखित निकाय से है;”

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/168/2025-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)

अवर सचिव

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना संख्या 27/2018- एकीकृत कर(दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को सा.का.नि. 1266(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 10/2023-एकीकृत कर(दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, सा.का.नि 551 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।